Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

36-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 6, 2026 (PHALGUNA 15, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 6th March, 2026

No. 4-HLA of 2026/7/4396.— The Haryana Police (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 4- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2026. Short title.

2. For section 65 of the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 65 of Haryana Act 25 of 2008.

"65. Functions of Authority.- (1) The Authority shall inquire into allegations of serious misconduct against police personnel of the rank of Deputy Superintendent of Police and above as detailed below, either suo moto or on a written complaint received from-

(a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit; or

(b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.- "serious misconduct" for the purpose of this Chapter shall mean any act of a police officer that amounts to-

(i) death in police custody;

(ii) rape or attempt to rape in police custody;

(iii) grievous hurt in police custody;

(iv) custody or detention without due process of law;

(v) extortion;

(vi) acquiring property through coercion;

(vii) involvement of police personnel in organized crime;

(viii) wilful inaction by police official in any offence as defined in the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) which attracts minimum punishment of ten years or more:

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention only if it is satisfied prima facie about the veracity of the complaint:

Provided further that no anonymous, synonymous and pseudonymous complaint shall be entertained.

(2) The Authority shall not enquire into-

(i) any matter where a report under section 193 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) has been filed in an appropriate court;

(ii) any matter pending or that has already been dealt with by the National Human Rights Commission/State Human Rights Commission/ National Commission for Scheduled Castes/ State Commission for Scheduled Castes/ National Commission for Women/State Commission for Women/National Commission for Minorities/ State Commission for Minorities or State Lokayukta;

(iii) any matter falling within jurisdiction after more than five years of its alleged occurrence;

(iv) any matter arising out of use of force by the police authorities in dealing with any unlawful assembly, protest, dharna, blockage of any public passage or disruption of essential services.

(3) The Authority may also inquire into any other case referred to it by the Director General of Police or the State Government.

(4) The Authority shall decide the complaint within a period of six months from the date of its receipt.".

Substitution of section 68C of Haryana Act 25 of 2008.

3. For section 68C of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“68C. Functions of District Police Complaint Authority.-(1) The District Police Complaint Authority shall inquire into allegations of serious misconduct against police personnel upto the rank of Inspector either suo moto or on a complaint received from-

(a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit; or

(b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.- "serious misconduct" shall have the same meaning as assigned to it in section 65:

Provided that no anonymous, synonymous and pseudonymous complaint shall be entertained.

(2) The District Police Complaint Authority shall not enquire into-

(i) any matter where a report under section 193 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) has been filed in an appropriate court;

(ii) any matter pending or that has already been dealt with by the National Human Rights Commission/State Human Rights Commission/ National Commission for Scheduled Castes/ State Commission for Scheduled Castes/ National Commission for Women/State Commission for Women/National Commission for Minorities/ State Commission for Minorities or State Lokayukta;

(iii) any matter falling within its jurisdiction after more than three years of its alleged occurrence;

(iv) any matter arising out of use of force by the police authorities in dealing with any unlawful assembly, protest, dharna, blockage of any public passage or disruption or essential services.

(3) The District Police Complaint Authority shall decide the complaint within a period of six months from the date of receipt of such complaint.

(4) The District Police Complaint Authority shall work under the overall control and supervision of the Authority for its proper functioning.

(5) The District Police Complaint Authority shall have power to make recommendations to the concerned disciplinary authority and the disciplinary authority shall take appropriate action thereon.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008) was enacted by the State of Haryana vide notification dated 02.06.2008. Section 65 of the Haryana Police Act, 2007 provides for the functions of the State Police Complaint Authority and section 68C of the said Act provides for the functions of the District Police Complaint Authority with regard to the inquiry into allegations of serious misconduct against the Police Personnel. However, the provisions of section 65 and 68C of the said Act are silent in respect of the matters where a report under section 193 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) has been filed in an appropriate Court against such Police Personnel. The said provisions are also silent in respect of the matters pending before the National Commissions and State Commissions constituted under the various Statutes. The time limit for deciding the complaints by the State Police Complaint Authority has also not been prescribed therein. Accordingly, these provisions need to be incorporated by way of amendment in the Haryana Police Act, 2007 for proper and effective functioning of the State Police Compliant Authority and the District Police Complaint Authority under the said Act. Hence, this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 6th March, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–4 एच. एल. ए.

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 को
आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 65 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"65. प्राधिकरण के कृत्य.– (1) प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस उप अधीक्षक और उससे ऊपर की पदवीं वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत गंभीर अवचार के आरोपों की जांच करेगा–

(क) किसी पीड़ित या शपथ–पत्र पर उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति; या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.– इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "गंभीर अवचार" का अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई कृत्य, जो निम्नलिखित कोटि का हो–

(i) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ii) पुलिस हिरासत में बलात्कार या बलात्कार का प्रयास;

(iii) पुलिस हिरासत में घोर उपहति;

(iv) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध;

(v) उद्दापन;

(vi) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;

(vii) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मिलित होना;

(viii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में यथा परिभाषित किसी अपराध में पुलिस कर्मचारी द्वारा जानबूझकर बरती गई निष्क्रियता, जिस के लिए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक की सजा का–प्रावधान है:

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी ही गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि यह शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा–

(i) ऐसा कोई मामला, जहाँ समुचित न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के अधीन रिपोर्ट दायर की गई है;

(ii) ऐसा कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) ऐसा कोई भी मामला, जो अभिकथित घटना घटित होने के पांच वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आता है;

(iv) किसी विधिनिरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक मार्ग की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाला कोई मामला।

(3) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है।

(4) प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 68 ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 68ग का प्रतिस्थापन।

"68 ग. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य.— (1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर, निरीक्षक की पदवीं तक के पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर अवचार के आरोपों की जांच करेगा—

(क) किसी पीड़ित या शपथ—पत्र पर उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति; या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.— "गम्भीर अवचार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 65 में इसे दिया गया है:

परन्तु कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण की जाऐगी।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्नलिखित किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा—

(i) ऐसा कोई मामला, जहाँ समुचित न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के अधीन रिपोर्ट दायर की गई है;

(ii) ऐसा कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/ राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) ऐसा कोई मामला, जो अभिकथित घटना घटित होने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आता है;

(iv) किसी विधिविरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक मार्ग की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाला कोई मामला।

(3) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसकी उचित कार्यप्रणाली के लिए प्राधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(5) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकरण को सिफारिशें करने की शक्तियां होंगी और अनुशासनिक प्राधिकरण उन पर उचित कार्रवाई करेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) को हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.06.2008 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 65 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों का प्रावधान है और उक्त अधिनियम की धारा 68 ग में पुलिस क्रमियों के विरुद्ध गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों का प्रावधान है। हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 65 और 68 ग के प्रावधान उन मामलों के संबंध में मौन हैं, जहाँ ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किसी उपयुक्त न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के तहत रिपोर्ट दायर की गई है। उक्त प्रावधान विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित राष्ट्रीय आयोगों और राज्य आयोगों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में भी मौन हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।

तदनुसार, उक्त अधिनियम के तहत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उचित और प्रभावी संचालन के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को शामिल किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 6 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।